NRrhlx< 'kklu

foRr foHkkx

okf"kd i'kkldh; ifronu

o"k 2020&21

NRrhlx< 'kklu

foRr foHkkx

iLrkouk

विभाग द्वारा वर्ष 2020–21 का विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

½vyjeyexb Mh-½
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

NRrhlx<+ 'kklu
foRr foHkkx

1- **foHkkx dk uke** % **foRr foHkkx**

2- **izHkkjh ea=h dk uke** % **Jh Hkwis'k c?ksy**

ea=ky; esa inLFk vf/kdkjhx.k

lfpo	%	श्रीमती अलरमेलमंगई डी.
fo'ks"k lfpo	:	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
vij lfpo	:	श्री सतीश पाण्डेय
lapkyd ctV	:	श्रीमती शारदा वर्मा
la;qDr lfpo	%	1. डॉ. ए.के. सिंह
	:	2. श्री अतीश पाण्डेय
mi lfpo	:	1. श्री आर.के. सिसोदिया
	:	2. श्री सौमिल रंजन चौबे
	:	3. श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
	:	4. श्रीमती प्रेमागुलाब एक्का
voj lfpo	%	1. श्री आनंद मिश्रा
	:	2. श्री ऋषभ पाराशर
	:	3. श्री राजशेखर शर्मा
	:	4. श्री सीताराम तिवारी
	:	5. श्री मनोज तिवारी
	:	6. श्री अरविंद कुजूर
	:	7. श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र
fo'ks"k drZO;LFk vf/kdkjh	:	श्री शरद परसाई
'kks/k vf/kdkjh	%	कु. हिमशिखा साहू

foHkkxk/;{k

1-	**lapkyd] dks"k] ys[kk ,oa isa'ku**	%	श्री नीलकंठ टीकाम
2-	**lapkyd] NRrhlx<+ jkT; lEijh{kk**	%	श्री अनुराग पाण्डेय
3-	**lapkyd] laLFkkxr foRr**	%	श्री प्रभात मलिक
4-	**lapkyd] foRrh; izca/k ,oa lwpuk iz.kkyh**	%	श्रीमती शारदा वर्मा

fo"k;&lwph

Ø-	v/;k;	'kh"kd	i"B la[;k
1-	ii'kkldh; foHkkx	foRr foHkkx	1 ls 8 rd
2-	foHkkxk/;{k	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	9 ls 19 rd
		2. संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा	20 ls 31 rd
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	32 ls 37 rd
		4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	38 ls 39 rd

NRrhlx< 'kklu] foRr foHkkx] e=ky;] egkunh Hkou] uok jk;iqj vVy uxj

foRr foHkkx dh Hkwfedk rFkk lajpuk

1-1 foHkkxh; Hkwfedk %& छत्तीसगढ़ कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देशो/अनुदेशों के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम 11 एवं 26 से 33 तक के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

fu;e 11 ¼,d½ कोई भी विभाग, वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना, ऐसे किन्हीं भी आदेशों को (वित्त विभाग द्वारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोड़कर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों द्वारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो –

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हों, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का समनुदेशन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत, मंजूरी, पट्टा या अनुज्ञप्ति या जल, विद्युत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अन्तर्वलित हों, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अन्तर्वलित हो,

(घ) सरकार द्वारा कोई गारन्टी दिये जाने संबंधी हो,

¼nks½ किसी भी प्रस्ताव पर, जिस पर इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद् द्वारा उस प्रभाव का निर्णय न ले लिया गया हो।

¼rhu½ कोई भी पुनर्विनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग द्वारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जावेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग द्वारा किये गये हों, अन्यथा नहीं.

¼pkj½ उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्राधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा संसूचित किया जाना चाहिये.

¼ikp½ इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को, विनियोग अधिनियम में निविर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिये प्राधिकृत करती है.

fu;e &26 foRr foHkkx fo'k"k :i ls fuEufyf[kr dk;k dk iHkkjh jgxk %&

¼,d½ वह, शासन द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा और ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा.

¼nks½ वह, अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिये तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा.

¼rhu½ वह, करो, शुल्कों, उपकरों या फीस के अधिरोपण, वृद्धि, कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा.

¼pkj½ वह, राज्य द्वारा गांरटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा, जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये हों, और वह, ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी होगा.

¼ikp½ वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिये समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ स्थापनाओं द्वारा उपयुक्त लेखे रेखे जाते हैं.

¼N%½ वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिये उत्तरदायी होगा.

¼lkr½ वह, बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में –

(क) वह, प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिये प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्धता के लिये उत्तरदायी होगी,

''परन्तु यह कि योजना व्यय के प्राक्कलन तैयार करते समय योजना विभाग से परामर्श किया जायेगा और ये प्राक्कलन यथा संभव उस विभाग द्वारा सुझाए गए आबंटन के अनुसार होंगे, यदि इसमें कोई परिवर्तन हो तो उन्हें, योजना विभाग की टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ विशिष्ट रूप से परिषद् के ध्यान में लाया जायेगा.''

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिये, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इन्कार करेगा,

(घ) वह, विधानमण्डल द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिये अपेक्षित, सभी रकमों का राज्य संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष तथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभारित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुरःस्थापन की कार्यवाही करेगा,

¼vkB½ वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्यान्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिये या आगे व्यय नहीं करने के लिये अपेक्षा करेगा.

¼uk½ वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा.

¼nl½ वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्धतियों के संबंध में सलाह देगा.

fu;e &27 ऐसे किसी पुनर्विनियोग को, जिसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं, मंजूर करने वाले किसी भी विभाग द्वारा पारित समस्त आदेशों की प्रतियां, आदेशों के पारित होते ही, उक्त विभाग को भेजी जाएगी.

fu;e &28 विशेष रूप से तथा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्नलिखित विषय राज्य की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विषय समझे जायेंगे –

(क) व्यय के लिये विनियोजित किए जाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत रकम से अधिक व्यय करना

(ख) लोक–धन से या भविष्य निधि के निक्षेप से किसी शासकीय कर्मचारी को अग्रिम मंजूर करना

(ग) किराया–मुक्त रियायत मंजूर करना

(घ) विभाग द्वारा निवृत्ति वेतन या अनुकम्पा भत्ते मंजूर करना

(ड.) वित्त विभाग द्वारा या उसकी सहमति से बनाये गये किसी नियम को शिथिल करना

(च) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर प्रभावित व्यय के रूप में घोषित करने के लिये या किसी ऐसे व्यय की रकम में वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव

(छ) शासन के ऋणी स्थानीय निकायों के बजट की पुष्टि करने संबंधी मामले

(ज) भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार को विनियमित करने वाले नियमों का कोई भी उपांतरण

(झ) विषय से संबंधित नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा भू–राजस्व के निलम्बन या परिहार के लिये प्रस्ताव

(त्र) उद्योग को राज्य सहायता या तकाबी अग्रिमों की मंजूरी को विनियमित करने वाले अधिनियमों या नियमों में कोई भी सारभूत उपांतरण

(ट) कर–निर्धारण प्रणालियों में यह विद्यमान कराधान, भू–राजस्व या सिंचाई देयों के उच्चतम परिमाण (पिच) में कोई सारभूत परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव

fu;e &29 कार्य नियम 11 द्वारा विहित परामर्श के दौरान वित्त विभाग द्वारा संसूचित किये गये उसके मत, उस विभाग के, जिसका कि वह मामला हो, अभिलेख में दर्ज किए जायेंगे और वे उस मामले के अभिलेख के भाग होंगे.

fu;e &30 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री उस मामले के संबंध में, जिसमें कार्य नियम 11 (एक) या (तीन) में उल्लिखित कोई विषय अन्तर्वलित हो, कोई भी कागज–पत्र मंगवा सकेगा और वह मंत्री, जिससे ऐसी मांग की गई हो, कागज –पत्रों को भेजेगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन मांगे गए कागज–पत्रों की प्राप्ति पर वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री यह निवेदन कर सकेगा कि उक्त कागज–पत्र, उन पर उसकी टिप्पणी सहित, परिषद् को प्रस्तुत किए जाएंगे.

fu;e &31 (1) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री किसी भी अन्य विभाग से ऐसी कोई भी जानकारी या विवरणी मंगवा सकेगा, जिसे वह वित्त विभाग उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिये समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे.

(2) वित्त विभाग का भार साधक मंत्री, समस्त विभागों में सामान्य रूप से वित्तीय प्रक्रिया को शासित करने के लिये तथा वित्त विभाग के कार्य को और अन्य विभागों का वित्त विभाग के साथ संव्यवहार को विनियमित करने के लिये नियम उस सीमा तक बना सकेगा जहां तक कि ऐसे नियम वित्त विभाग को किसी भी अधिनियम या उचित प्राधिकार के अधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों द्वारा उसको सौंपे गए

कर्तव्यों के निर्वहन के लिये समर्थ बनने के लिए अपेक्षित हों और अन्य विभागों के भारसाधक मंत्री यह देखने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके विभागों में इन नियमों का पालन किया जा रहा है.

fu;e &32 ऐसे किसी प्रस्ताव की छानबीन करते समय, जिस पर कार्य नियम, 11 या किसी सहायक नियम के अधीन वित्त विभाग से परामर्श किया गया हो, उस विभाग का ऐसी स्थिति में यह बताना कर्तव्यस्थ होगा जबकि प्रस्ताव में किसी वित्तीय सिद्वांत का या वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित प्रनियमों में से किसी भी प्रनियम का उलंघन अन्तर्वलित हो –

(एक) प्रत्येक लोक अधिकारी को शासकीय धन से किये जाने वाले व्यय पर वैसी ही सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसी सतर्कता एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करने में बरतता है.

(दो) कोई भी प्राधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिये नहीं करेगा, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ उसे प्राप्त होता हो.

(तीन) शासकीय धन का उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय के किसी वर्ग के फायदे के लिये तक नहीं किया जाना चाहिये, जब तक कि –

(1) अन्तर्वलित व्यय की रकम नगण्य न हो, या

(2) रकम का दावा किसी न्यायालय में प्रवर्तित न किया जा सकता हो, या

(3) व्यय मान्य नीति या परम्परा के अनुसरण में न हो.

(चार) भत्तों की रकम, जैसे यात्रा भत्ते, जो कि किसी विशिष्ट प्रकार के व्यय के पूरा करने के लिये मंजूर की गई हो, इस प्रकार विनियमित की जाय कि भत्ते कुल मिलाकर प्राप्ति कर्ता के लाभ के साधन न हो जायं.

fu;e &32&d अनुपूरक अनुदेश क्रमांक 32 के अधीन वित्त विभाग को परामर्श के लिये भेजे गए प्रत्येक मामले में वह विभाग अधिकतम पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपने मत के साथ उसे विभाग को लौटाएगा. यदि इस समयावधि में मामला वापिस करना संभव न हो तो वित्त विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, मामले में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से चर्चा कर मामले के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करेंगे.

fu;e &33 वित्त विभाग को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि विशिष्ट विभागों में व्यय की लेखा–परीक्षा को प्राप्तियों की लेखा –परीक्षा द्वारा किस सीमा तक सहायता पहुंचाई जाए.

टिप्पणी – वित्त विभाग द्वारा कार्य नियम के अधीन किए गए प्रत्यायोजन तथा बनाए गए नियम वित्त विभाग द्वारा पृथक रूप से जारी किए गए हैं।

1-2 l jpuk %&

बजट कार्य के लिए विभाग में 5 बजट शाखाएं (संसाधन शाखा सहित) है, इन बजट शाखाओं के मध्य विभागावार बजट बनाने का कार्य आंबटित है। इनके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा, एक नियम शाखा तथा एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है । प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के स्थापना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों / अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत /परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है । राज्य संसाधन शाखा में शासन के ऋणों का संधारण, पुर्नभुगतान एवं प्रबंधन संबंधी कार्य संपादित किया जाता है। वित्त आयोग (केन्द्रीय एवं राज्य) प्रकोष्ठ द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग को वांछित जानकारी तैयार कर प्रेषित करने, राज्य की ओर से प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन (मेमोरेण्डम) तैयार करने एवं अनुशंसाओं को लागू करने संबंधी अनुसंगिक कार्यवाही संपादित की जाती है।

1-3 foRr foHkkx dk nkf;Ro ,o dk;Z %&

विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन सहित सभी कमिटेड खर्चो की पूर्ति हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना विभाग का दायित्व है। इसकी पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :—

(1) लोक —कल्याणकारी योजनाओं एवं कमिटेड खर्चो हेतु आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करना

(2) बजट संसाधनों में दर्शित लोक ऋणों की प्राप्ति, उनके भुगतान एवं राज्य के उपलब्ध संसाधनों के मदेनजर लोक ऋणों का समुचित प्रबंधन

(3) अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु समुचित प्रयास

(4) विधानसभा से बजट पारण एवं सर्वसंबंधित विभागों को व्यय हेतु बजट आबंटन जारी करना

(5) शासकीय राशि का मितव्ययितापूर्ण एवं गुणवत्तापरक व्यय सुनिश्चित करने हेतु दिशा—निर्देश जारी करना

(6) राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना

(7) राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना

(8) केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष राज्य की ओर से केन्द्रीय राजस्व के बंटवारे एवं राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि के लिए मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना

(9) राज्य में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं का विस्तार

(10) छत्तीसगढ़ राज्य के निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्यवाही।

(11) संचालक, **^^NÙkhlx< jkT; lijh{kk**** द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करना।

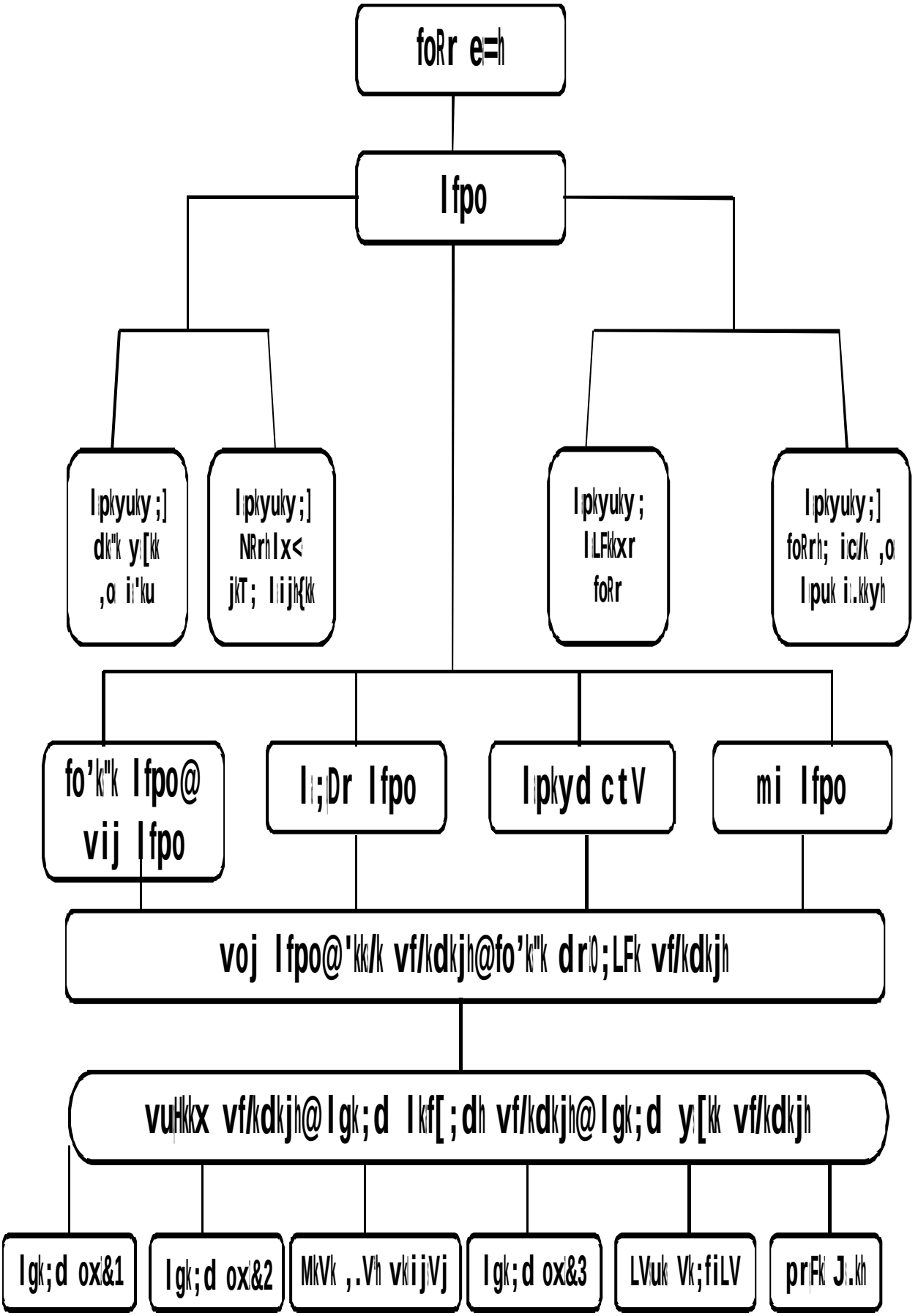
foRr e=h
lfpo
lpkyuky;] dk"k y[kk ,o i'ku
lpkyuky;] NRrhlx< jkT; lijk{kk
lpkyuky; lLFkkxr foRr
lpkyuky;] foRrh; ic/k ,o lpuk i.kkyh
fo'k"k lfpo@ vij lfpo
l;Dr lfpo
lpkyd ctV
mi lfpo
voj lfpo@'kk/k vf/kdkjh@fo'k"k dr0;LFk vf/kdkjh
vuHkkx vf/kdkjh@lgk;d lkf[;dh vf/kdkjh@lgk;d y[kk vf/kdkjh
lgk;d ox&1
lgk;d ox&2
MkVk ,.Vh vkijVj
lgk;d ox&3
LVuk Vk;fiLV
prFk J.kh

foRr foHkkx d s v/khuLFk foHkkxk/;{k dk;ky;

1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन
2. संचालनालय, ^^NÙkh lx< jkT; l i jh{kk**
3. संचालनालय, संस्थागत वित्त
4. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली

lapkyuky;] dks"k] ys[kk ,oa isa'ku] NRrhlx<

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–ए, प्रथम तल, नवा रायपुर अटल नगर
दूरभाष नम्बर 0771 – 2331306 फैक्स 2445789, ईमेल dir.treasury.cg@nic.in

Hkkx&,d & lkekU; tkudkjh

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप हुई है। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल हैं ।

1-2 v/khuLFk dk;kZy; %&

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ आडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय 29 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1-3 Lohd`r lsVvi %&

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, आडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है:–

d-	inuke	lkrok osrueku e: yoy	J.kh	Lohd`r in
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
02	वित्त नियंत्रक	लेवल – 16		01
02	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	08
04	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	27
05	सिस्टम एनालिस्ट	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	35
07	प्रोग्रामर	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	04
08	सहायक प्रोग्रामर	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	32
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	516
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	लेवल – 11	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	07
13	सहायक ग्रेड–1	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	94
14.	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	237
15.	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	300
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	40
17.	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	14
18.	दफ्तरी	लेवल – 02	चतुर्थ श्रेणी	34

19.	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	158
20.	चौकीदार	कलेक्टर दर		08
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर		33
22.	स्वीपर / फर्राश	कलेक्टर दर		35
	;kx			**1590**

vkfMV izdks"B

dz-	**inuke**	**Ikrok orueku e: yoy**	**J.kh**	**Lohd`r in**
1	अपर संचालक	लेवल – 15	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	लेवल – 14	प्रथम श्रेणी	03
3	उप संचालक	लेवल – 13	प्रथम श्रेणी	01
3	सहायक संचालक	लेवल – 12	द्वितीय श्रेणी	08
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	लेवल – 09	तृतीय श्रेणी	16
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	लेवल – 07	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड–2	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड–3	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेवल – 06	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	लेवल – 04	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	लेवल – 01	चतुर्थ श्रेणी	05
	;kx			**60**

1-4 e[; dRrO;%&

1-4-1 dk"k ipkyu %& छत्तीसगढ़ राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें, 28 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय अटल नगर रायपुर तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1-4-2 dk"k fujh{k.k %& राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है।

1-4-3 i'ku o oru fu/kkj.k %& राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1-4-4 loxl icU/ku %& राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है। प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग–1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1-4-5 y[kk ijh{k.k %&राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है। राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लिये लेखा प्रशिक्षण परीक्षा का आयोजन संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

1-4-6 va'knk;h isa'ku ;kstuk %& छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01.11.2004 के पश्चात नवनियुक्त कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, इस योजना में 31.12.2020 तक कुल 2,84,354 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

1-4-7 vkfMV izdks"B :– आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1-5 miyfC/k;k¡ %&

1-5-1 isa'ku rFkk osru fu/kkj.k %&

माह दिसम्बर, 2020 तक की स्थिति में निम्नानुसार प्रकरणों का निराकरण किया गया :–

1	पेंशन प्रकरणों की संख्या	–	111223
2.	वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या	–	224381

पेंशन से संबंधित जानकारी एवं अन्य सुविधाएं प्रदाय करने हेतु आनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम ''**vkHkkj vkidh lsokvksa dk**'' वित्त निर्देश 28/2018 द्वारा मई 2018 से लागू किया गया है जो https://cgpension.nic.in/ पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्र. 24/2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य किया गया एवं वित्त निर्देश 52/2017 द्वारा – दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवा निवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवको के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया जा रहा है।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य की गई है ताकि पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके ।

1-5-2 va'knk;h isa'ku ;kstuk %&

1- दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात् राज्य शासन की पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एक नई परिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' लागू है। मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है । छ.ग. राज्य द्वारा दिनांक 19.09.2008 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को अपनाया गया है। इस योजना में 31.12.2020 तक कुल 2,84,354 अधिकारी/कर्मचारी शामिल है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु 01 सितंबर 2019 से Server to Server Integration के माध्यम से ऑनलाईन PRAN(Permanent Retirement Account Number) आबंटन की कार्यवाही किया जा रहा है। अभिदाता कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से जिला कोषालय

अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर जिला कोषालय से ऑनलाईन PRAN आबंटित किया जाता है। Server to Server Integration के माध्यम PRAN होने से PRAN एवं एम्पलाई आई.डी. साथ ही ई–कोष साफ्टवेयर में सीधे अपडेट हो जाता है। PRAN के किसी विवरण में संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता हो तो Annexure-S2 फार्म में जानकारी भर कर संबंधित जिला कोषालय को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

3- ,u-ih-,l- [kkr dk idkj – v- टियर–1 गैर–निकासी योग्य खाते में सेवानिवृत्ति के लिए अपनी बचत का योगदान देगा । **c-** टियर–2 स्वैच्छिक बचत सुविधा, अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से अपनी बचत वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा ।

4- PRAN [kkr e v'knku tek dh ifd;k – वेतन से कटौती किये गये अभिदाता के अंशदान को लोक लेखा शीर्ष 8342 एवं उसके समतुल्य नियोक्ता अंशदान मुख्य शीर्ष 2071 से आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है। बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक एवं नियोक्ता का अंशदान चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष 8342 में जमा किया जाता है तथा इस शीर्ष से अंशदान को आहरित कर ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया जाता है।

5- fgr/kkjh & jk"Vh; i'ku i.kkyh l lcf/kr fgr/kkjh fuEukulkj g &

v& एन.पी.एस. के अंतर्गत निधि के विनियमन का कार्य पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जा रहा है।

c& एन.पी.एस. ट्रस्ट एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक नियुक्ति किया गया है ।

l – कस्टोडियन–स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)

n& राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2009 से केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस.डी.एल. की सेवाएँ ली जा रही है।

b – फण्ड मैनेजर – एस.बी.आई. पेंशन फण्ड लिमिटेड रिटायरमेंट साल्यूशन लिमिटेड, यूटीआई, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड ।

6- ykHk &

i. मोबाइल एप्प तथा एन.एस.डी.एल की वेबसाइट में लॉग इन करके त्वरित रूप से एन.पी.एस खाते से संबंधित विवरण ।

ii. सेवा का क्षेत्र बदलने पर पेंशन निधि में जमा राशि PRAN खाते के साथ स्थानांतरित करने का लचीलापन।

iii. depkfj;k dk dj ykHk& अभिदाता अपने टियर–1 खाते में जमा राशि पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त कर सकता है–

(**d½** कर्मचारियों का अपना अंशदान धारा 80 सी.सी.ई की 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर, धारा 80 सी.सी.डी (1) के तहत कर में छूट

(**[k½** नियोक्ता का अंशदान– धारा 80 सी.सी.डी(2) के तहत बिना किसी सीमा के कर में अतिरिक्त छूट

(**x½** कर में अतिरिक्त छूट – अतिरिक्त अंशदान करने पर 80 सी.सी.ई के 1.50 लाख की सीमा के अलावा कर में अधिकतम रूपये 50,000/– की छूट 80 सी.सी.डी 1(B) के तहत प्राप्त होगी

7- vkf'kd vkgj.k &योजना के न्यूनतम 3 वर्ष की सदस्यता है क्या ? पश्चात् अभिदाता पूरे सेवा काल के दौरान गृह निर्माण, अधिसूचित स्वास्थ्य समस्याओं एवं बच्चों की उच्च शिक्षा/विवाह हेतु अधिकतम 3 बार स्वयं के अंशदान का 25 प्रतिशत राशि का आंशिक आहरण कर सकता है फार्म 601pw। (वित्त निर्देश 58/2017)

8- fudklh &

fudklh dk i.dkj	vf/kdre ,de'r jkf'k	U;wure okf"kdh d;	100 % fudklh gsrq vf/kdre tek	vkosnu Qkel
सेवानिवृत्ति	60%	40%	**2 yk[k**	101GS
सेवात्याग	20%	80%	**1 yk[k**	102GP
मृत्यु	20%	80%	**2 yk[k**	103GD

9- fMQjeV & अभिदाता वार्षिकी क्रय हेतु न्यूनतम राशि को 03 वर्ष के लिए तथा अधिकतम एकमुश्त आहरण योग्य राशि को 70 वर्ष की आयु तक आस्थगित करने का विकल्प यदि चाहे तो दे सकता है । इस हेतु अधिवार्षिकी आयु से कम से कम 15 दिन पूर्व इस आशय का सूचना देना होगा ।

10- okf"kdh d; ¼ Annuity Service Providers **½&** वार्षिकी क्रय हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि का वार्षिकी क्रय करने हेतु के द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी अपनी सेवाएं से ली जाती । ASP की सूची Website पर उपलब्ध है ।

11- vkWu ykbu f'kdk;r ¼ Grievance **½&** अभिदाता को PRAN खाते से संबंधित यदि कोई शिकायत हो तो उसके द्वारा स्वयं अथवा डी.डी.ओ के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत दर्ज किया जा सकता है।

12- नवंबर 2020 तक ट्रस्टी बैंक ''एक्सिस बैंक'' को योजना की कुल राशि 8514.90 करोड़ (शब्दों में–पचयासी अरब चौदह करोड़ नब्बे लाख रूपये) स्थानांतरित किया जा चुका है।

1-5-3 isa'kuj dY;k.k dk"k ½&

राज्य के पेंशनरों की समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य शासन को उपाय सुझाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन के अध्यक्षता में पेंशन कल्याण मंडल पुर्नगठित है मंडल में विभिन्न पेंशनर संघों के 05 प्रतिनिधि अशासकीय सदस्यों के रूप में नामांकित है ।

राज्य गठन के पश्चात् पेंशनरों एवं उसके परिवारों के सदस्यों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में एवं श्रवण यंत्र, दंत व चश्मा के प्रकरणों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये पेंशनर कल्याण कोष संचालित है।

पेंशन कल्याण कोष में कुल प्राप्त राशि रू. 91,10,000/– लाख में से दिसंबर 2020 तक 661 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 69,17,596/– लाख स्वीकृत किये गये हैं ।

1-5-4 dk"kky; Lrj ij dEI;Vjhdj.k ½& राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय–व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज–लाईन के माध्यम से ऑनलाईन नेट–वर्किंग स्थापित की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के आय–व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में सुविधा होती है। छ.ग. राज्य के कोषालयों में **^^bZ&dk"k**** लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है। कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट,

ई–कर्मचारी, ई–पेरोल, ई–पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है। वर्तमान में दिनांक 01.04. 2017 से पूर्णतः केन्द्रीकृत ऑनलाईन व्यवस्था **lkbcj Vªstjh** प्रारंभ की गई है जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय महानदी भवन, नया रायपुर में स्थापित सेंट्रल सर्वर के माध्यम से समस्त जिलो एवं उपकोषालयों का संपूर्ण कार्य ऑनलाईन संपादित होता है। इससे राज्य शासन के आय–व्यय की संपूर्ण जानकारी सेंट्रल सर्वर के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

1-5-5 b&pkyku dh lqfo/kk %& राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई–चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है। इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है। लेखांकन हेतु इंद्रावती कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है। चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रानिक चालान प्राप्त हो जाता है। यह सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी. एफ.सी. बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओव्हरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं कार्पोरेशन बैंक के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। भविष्य में लेखांकन एवं स्कालिंग संबंधित कार्य कोषालयों से लिंक कर दिया जावेगा ।

1-5-6 b&isesaV %& भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई–पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliors) को रू 5,000.00 या इससे अधिक का भुगतान ई–पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है। **Hkkjrh; fjtoZ cSad ds b&dqcsj lkW¶Vos;j ds ek/;e ls b&isesaV iz.kkyh dks ykxw djus dk dk;Z izfdz;k/khu gSA** शीघ्र ही राज्य शासन के समस्त प्रकार के भुगतान का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के ई–कुबेर साफ्टवेयर के माध्यम से प्रारंभ कर दिया जाएगा।

1-5-7 lk[k i=d dk dEI;wVjhdj.k %& वित्तीय वर्ष 2013–14 में निर्माण कार्य विभागों के लिए प्रचलित साख–पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई–कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है।

1-5-8 foHkkxh; fujh{k.k %& कोषालय संहिता अनुभाग–03 के सहायक नियम 38 के अनुसार कोषालय का विभागीय निरीक्षण किया जाता है। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत 05 संभागीय संयुक्त संचालक, 06 संभागीय कोषालय, 22 जिला कोषालय, 02 लेखा प्रशिक्षण शाला एवं 40 उपकोषालय संचालित है।

संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, संभागीय जिला कोषालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष तथा जिला कोषालयों का 03 वर्ष एवं उपकोषालयों का 6 वर्ष में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में किये जाने वाले विभागीय निरीक्षण रोस्टर निम्नानुसार है :–

सरल क्रमांक	माह	संभागीय संयुक्त संचालक	जिला. कोषालय	उप कोषालय
1	जून 2020	बिलासपुर	–	कुनकुरी
2	जुलाई 2020	जगदलपुर	जगदलपुर	भाटापारा
3	अगस्त 2020	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	रामानुजगंज
4	सितम्बर 2020	रायपुर	जिला कोषालय रायपुर, इन्द्रवती कोषालय नया रायपुर	–
5	अक्टूबर 2020	–	कबीरधाम / धमतरी	कोन्टा
6	नवंबर 2020	दुर्ग	दुर्ग /राजनांदगांव	पिथौरा
7	दिसंबर 2020	–	कोरबा /गरियाबंद	कसडोल
8	जनवरी 2021	–	बीजापुर	सरायपाली
9	फरवरी 2021	बिलासपुर	बिलासपुर/मुंगेली	पंखाजूर

टीप :– सरल क्रमांक 01 से 09 तक के कार्यालयों का संचालनालय द्वारा कोविड–19 के कारण निरीक्षण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, एवं सभी नामांकित कार्यालयों को निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी वित्तयी वर्ष में किया जावेगा ।

माह दिसम्बर 2020 से फरवरी 2021 तक किये जाने वाले विभागीय विभागीय निरीक्षण संचालनालय द्वारा कोविड–19 के कारण आगामी वित्तीय वर्ष में निर्धारित समय में पूर्ण किये जायेंगें ।

1-5-9 foHkkxh; ijh{kk,¡ %&

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा, छ.ग. राज्य वित्त लेखा सेवा परीक्षा (परि.) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 तथा छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा (परि.) अधिकारियों की विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:–

1- ys[kk izf'k{k.k ijh{kk

राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के कारण लेखा प्रशिक्षण शाला रायपुर/बिलासपुर में सभी सत्र स्थगित रखे गये है। जिसके कारण परीक्षा का आयोजन संभव नहीं हो सका ।

2- N-x-jkT; foRr ys[kk lsok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;ksa dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&2

ekg ,oa fnukad	ijh{kk gsrq tkjh jksy ucj	mifLFkr	vuqifLFkr	;ksx	mRrh.kZ	vuqRrh.kZ
uoEcj–2020 दिनांक 02.11.2020 से 07.11.2020 तक	01 से 15	15	–	15	06	09

3- N-x- v/khuLFk y[kk lok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;k dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&1

ekg ,o fnukad	ijh{kk gr tkjh jky ucj	mifLFkr	vuifLFkr	;kx	mRrh.k	vuRrh.k
uoEcj –2020 दिनांक 02.11.2020 से 06.11.2020 तक	01 से 35	30	05	35	10	25

4- N-x- v/khuLFk y[kk lok ¼ifjoh{kk/khu½ vf/kdkfj;k dk foHkkxh; ijh{kk Hkkx&2

ekg ,o fnukad	ijh{kk gr tkjh jky ucj	mifLFkr	vuifLFkr	;kx	mRrh.k	vuRrh.k
uoEcj –2020 दिनांक 02.11.2020 से 06.11.2020 तक	01 से 26 तक	24	02	26	18	08

1-5-10 vkfMV idk"B :– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्रमांक 923/782/2013/स्था./चार दिनांक 26.08.2013 द्वारा लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (आडिट प्रकोष्ट) का गठन किया गया है।

तदानुसार ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा राज्य के समस्त विभागाध्यक्षों एवं अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से किया जाकर विभागों में आर्थिक हानि, वित्तीय अनियमितता तथा वित्तीय नियमों की उपेक्षा आदि से संबंधित प्रकरणों को कार्यालय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/शासन के ध्यान में लाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में संचालनालय द्वारा जारी निरीक्षण रोस्टर के अनुसार 132 कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण एवं भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना था, किन्तु माह मार्च 2020 में Covid –19 कोरोना महामारी के कारण शासन द्वारा लॉकडाउन किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान जोखिमों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक किसी भी कार्यालय का अंकेक्षण कार्य संपादित नहीं किया जा सका ।

1-5-11 lkekU; Hkfo"; fuf/k Unpost Credit, Unpost Debit, Dormant Account, Fullwant, partwant :–

सामान्य भविष्य निधि Unpost Credit, Unpost Debit, Dormant Account, Fullwant, partwant आदि प्रकरणों के निराकरण के लिये महालेखाकार तथा कोषालयों के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मध्य समन्वय कर लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराया जाता है इसके लिये विशेष कैंप का आयोजन कर लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाता है । साथ ही वर्तमान में जी.पी.एफ. योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त कर्मचारियों के अंतिम भुगतान GPF Online Final Payment System से कराया जा रहा है इस योजना को सर्वप्रथम जिला कोषालय रायपुर में पायलेट प्रोजेक्ट के साथ लागू किया गया है । आगामी चरण में संभागीय मुख्यालय में स्थित कोषालयों में तत्पश्चात्, समस्त कोषालयों में लागू किया जाना है । उक्त व्यवस्था के लागू होने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को समय पर जी.पी.एफ. के अंतिम भुगतान की राशि प्रदान किया जाना संभव होगा ।

Hkkx&nks ctV ,d nf"V esa&
ctV izko/kku ,oa O;; ;kstukokj

वित्तीय वर्ष 2020—21

दिनांक 31.12.2020
की स्थिति में

ekax la[;k&06] 2054&jktdks"k vkSj ys[kk iz'kklu

d-	;kstuk 'kh"kZ	;kstuk dk uke	ctV izko/kku	O;;
1	(3843)	लेखा प्रशिक्षण शाला	11242000	4223256
2	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन	244110000	123721719
3	(4307)	संभागीय स्थापना	104600000	50551015
4	(8904)	ऑडिट प्रकोष्ठ	26440000	17606555
5	(7919)	छ.ग. लोक वित्त प्रबंधन	15000000	0
6	(1026)	खजाना स्थापना	467530000	277594255
		;ksx 2054	**868922000**	**473696800**

ekax la[;k&06] 2235&lkekftd lqj{kk ,oa dY;k.k

7	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की प्रतिपूर्ति	10000	0
		;ksx 2235	**10000**	**0**

ekax la[;k&06] 2071&isa'ku vkSj lsokfuo`fRr ykHk

8	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	12000000000	8303702131
		;ksx 2071	12000000000	8303702131

ekax la[;k&06] 2885&m|ksxksa vkSj [kfutksa ij vU; ifjO;;

9	(4843)	अधो संरचना विकास निगम	150000000	102300000
		;ksx 2885	150000000	102300000

ekax la[;k&06] 4070&vU; iz'kklfud lsokvksa ij iwath

10	(2274)	निदेशन एवं प्रशासन (वाहनों का कय)	3000000	0
		;ksx 2274	**3000000**	**0**
		egk;ksx	**13021932000**	**8879698931**

ekax la[;k& eq[; 'kh"kZ&2049&C;kt lank; ¼jkf'k gtkjksa esa½

l- dz-	;kstuk	;kstuk dk uke	o"kZ 2019&20 gsrq izko/kku	C;kt lek;kstu jkf'k
1	4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	35,0000 / —	167403 / —
2	4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	90,00,00 / —	332590 / —
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	15,00,00 / —	15214 / —

Hkkx&rhu

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है। राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है।

Hkkx&pkj&lkekU; i'kklfud fo"k; :– निरंक ।

Hkkx&ikp & vfHkuo ;kstuk

01. राज्य के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान **^^vkuykbu th-ih-,Q- Qkbuy isesV flLVe**** – ''आभार –आपकी सेवाओं का'' के माध्यम से आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस सिस्टम के तहत् सामान्य भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र ऑनलाईन जारी किया जायेगा। जिससे सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान त्वरित रूप से हो सकेगी । GPF Online Final Payment System :– लागू करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जिला कोषालय रायपुर में उक्त प्रक्रिया को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में दिनांक 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया है। जिला कोषालय रायपुर में पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में GPF Online Final Payment System लागू होने के उपरांत जी.पी.एफ. अंतिम भुगतान के कुल 90 प्रकरण GPF Online Final Payment System के माध्यम से तैयार किये जाकर 87 प्रकरण डी.डी.ओ. द्वारा महालेखाकार छ.ग. रायपुर को प्रेषित किया जा चुका है । जिस पर महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 37 ई–सा.भ.नि.प्राधिकार पत्र (GPF Authority letter) भी जारी किया गया है। दिनांक 01.04.2021 से समस्त राज्य में Online GPF Final Payment प्रक्रिया को प्रांरभ करने का लक्ष्य रखा गया है ।

02. वर्तमान में प्रचलित ई–कर्मचारी सॉफ्टवेयर में शासकीय सेवकों की बहुत सी जानकारियों को समय के साथ अद्यतन करने के उद्देश्य से **l'kf/kr dkfed lwpuk ¼b&depkjh½ ekM;wy** तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल में कुछ नवीन Field जोड़कर और अधिक व्यवस्थित किया गया है तथा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। साथ ही ई–पेरोल सॉफ्टवेयर को ई–कर्मचारी मॉड्यूल से लिंक किया गया है ताकि दोनो की जानकारियों में एकरूपता हो।

03. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के द्वारा राज्य के समस्त अधिकारी/कर्मचारी का वेतन एवं अन्य स्वत्वों तथा शासकीय क्रय हेतु वेंडरों को किये जा रहे समस्त भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में **b&iseV** के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही उक्तानुसार बैंक खातों में अंतरित की जा रही राशि की सूचना भी SMS के माध्यम से संबंधित को प्रदाय की जाती है। जो राशि वेंडर के सीधे खाते में जमा किया जाना संभव नहीं होता है उस राशि को संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में अंतरित किया जाता है।

04. राज्य में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित बनाने के लिए ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम **^^vkHkkj vkidh lsokvksa dk**** माह मई–2018 से राज्य में लागू किया गया है। इस सिस्टम के तहत् पेंशन, उपादान तथा सारांशिकरण भुगतान अदायगी आदेश ऑनलाईन जारी किया जा रहा है एवं पेंशनरों को कोषालय में उपस्थित होने की पूर्व प्रक्रिया को समाप्त किया गया है।

Hkkx&N% &foHkkx }kjk fudkys tk jgs izdk'ku & निरंक ।

Hkkx&lkr & vU; fooj.k

lewg chek ;kstuk &

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहेंगे। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन से समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौत्रा किया जावेगा।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय–व्यय के आंकड़े संबंधी संचित अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है। इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया जाता है और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया जाता है साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाता है। परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना पर देय ब्याज की राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है ।

छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अंशदान तथा अनुरूपी बीमा राशि की दरों में 1 जुलाई 2017 से 100 प्रतिशत् वृद्धि करते हुए प्रति ईकाई की दर रू. 60 करने का निर्णय लिया है। दिनांक 01 जुलाई 2017 (जून 2017 का वेतन जुलाई 2017 में देय) से निम्नानुसार संशोधित बीमा राशि की दरें निर्धारित की गई है:–

Lkeg	deZpkjh oxZ	vfHknkrk izfrekg	chek jkf'k
ए	प्रथम	रू. 480	रू. 4,80,000.00
बी	द्वितीय	रू. 360	रू. 3,60,000.00
सी	तृतीय	रू. 300	रू. 3,00,000.00
डी	चतुर्थ	रू. 180	रू. 1,80,000.00

पूर्व की भांति प्रत्येक ईकाई का 30 प्रतिशत् भाग बीमा निधि और शेष 70 प्रतिशत् भाग बचत निधि में जमा होता है । सेवानिवृत्ति पर शासकीय सेवकों को उनकी बचत निधि खाते में जमा राशि का भुगतान ब्याज सहित किया जाता है। सेवा में रहते हुए शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को बीमा राशि की पात्रता होती है तथा इसके अतिरिक्त इस योजनांतर्गत बचत निधि खाते में संचित राशि का भुगतान भी ब्याज सहित किया जाता है।

——000——

lapkyuky;] NÙkhlx< jkT; laijh{kk
bUnkorh Hkou] Cykd&,] f}rh; ry] uok jk;iqj vVy uxj

Hkkx & 1

1- lkekU; tkudkjh %&

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि जिनकी संख्या बाररह हजार से अधिक है के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है। राज्य से अनुदान एवं गैर अनुदान प्राप्त समस्त निगमों, मण्डलों, बोर्डो, अकादमी आदि मे कार्यरत मूल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच एवं सत्यापन का कार्य भी किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 (31 दिसबंर 2020 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अनियमितताओं के संबंध में निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अभिमत दिया जाता है। अंकेक्षित निकायों के प्रशासकीय विभागों को भी अंकेक्षण की प्रति प्रेषित की जाती है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा :–

राज्य संपरीक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में स्थापित हैं। संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये कुल 375 पदों का सृजन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

dz	dk;kZy;	dqy in la[;k
1	संचालनालय, रायपुर	62
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	36
dqy in la[;k		**375**

टीप –संयुक्त संचालक(वित्त) के प्रतिनियुक्ति पद को उक्त तालिका में नहीं जोड़ा गया है।

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2020 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार हैः–

d	in dk uke	Ikrok orueku e yoy	J.kh	Lohd`r
1	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान	प्रथम श्रेणी	01
2	अतिरिक्त संचालक	लेवल–15	प्रथम श्रेणी	01
3	संयुक्त संचालक	लेवल –14	प्रथम श्रेणी	02
4	उप संचालक	लेवल –13	प्रथम श्रेणी	07
5	सहायक संचालक	लेवल –12	द्वितीय श्रेणी	24
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	लेवल –08	तृतीय श्रेणी	83
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	लेवल –09	तृतीय श्रेणी	01
8	अधीक्षक	लेवल –09	तृतीय श्रेणी	01
9	मुख्य लिपिक	लेवल –07	तृतीय श्रेणी	02
10	सहायक अधीक्षक	लेवल –08	तृतीय श्रेणी	01
11	सहायक ग्रेड 1	लेवल –07	तृतीय श्रेणी	01
12	स्टेनोग्राफर	लेवल –07	तृतीय श्रेणी	01
13	सहायक संपरीक्षक	लेवल –06	तृतीय श्रेणी	165
14	लेखापाल	लेवल –06	तृतीय श्रेणी	01
15	सहायक ग्रेड 2	लेवल –06	तृतीय श्रेणी	13
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	लेवल –06	तृतीय श्रेणी	9
17	सहायक ग्रेड 3	लेवल –04	तृतीय श्रेणी	23
18	स्टेनो टायपिस्ट	लेवल –04	तृतीय श्रेणी	05
19	वाहन चालक	लेवल –04	चतुर्थ श्रेणी	05
20	भृत्य	लेवल –01	चतुर्थ श्रेणी	23
21	चौकीदार (अस्थाई)	लेवल –01	चतुर्थ श्रेणी	06
योग				**375**

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के तहत् कुल 13223 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं अम्बिकापुर में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है।

3- NRrhlx< jkT; lai jh{kk dk dk;Z %&

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा का कार्य निम्नानुसार हैं :–

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 4(1) एवं 21(3) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समय–समय पर जारी अधिसूचना के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम के अधीन अंकेक्षणाधीन घोषित समस्त स्थानीय निकायों का अंकेक्षण कार्य संपादित करना।

ऐसी सभी संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य संपादित करना जिनके अंकेक्षण किसी ऐसे अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, जिसके अनुसार ऐसी संस्थाओ का गठन किया गया हो, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किया जाना उपबंधित हो।

ऐसे सभी स्थानीय प्राधिकरणों तथा निगमित और गैर निगमित निकायों के लेखाओं के अंकेक्षण के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को, राज्य शासन के वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति पर, ऐसी किसी भी अन्य संस्थाओं के लेखाओं का अंकेक्षण करना होता है जो शासन द्वारा समय–समय पर सौंपी गयी हो।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य के आधार पर स्थानीय निकायों पर अंकेक्षण शुल्क आरोपित कर वसूली करना।

निकायों के अंकेक्षण कार्य के पश्चात् समक्ष आई वित्तीय अनियमितताओं को संकलित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिवेदन प्रसारित करना।

प्रभक्षण, वित्तीय कदाचार आदि के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष प्रतिवेदन निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभाग की ओर प्रेषित करना।

स्थानीय निकायों के एवं अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण एवं नगर पालिक निगम रायपुर के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण का निराकरण करना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधित निकाय एवं उनके प्रशासकीय विभागों की ओर प्रसारण उपरांत आक्षेपों के निराकरण हेतु चार माह बाद आगामी अभ्युक्तियॉ जारी करना।

अंकेक्षण के दौरान संबंधित निकायों में वित्तीय नियमों के परिपालन के संबंध में मार्गदर्शन देना।

स्थानीय निकायों के प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनें कर्तव्यों की घोर उपेक्षा किये जानें के फलस्वरूप निकाय की निधि से हुये दुर्व्यय या दुरूपयोजन की पूर्ति संबंधित प्राधिकारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से किये जानें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973 की धारा 10, 11, 12 एवं 13 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही करना।

4- if'k{k.k %&

संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कराये गये हैं :–

1. ऑडिट ऑनलाईन विषय पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालनालय स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। साथ ही ऑडिट ऑनलाईन विषय पर इलेक्ट्रानिक मीटिंग एप्प के उपयोग से कई वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया।
2. पी.एफ.एम.एस. प्रोजेक्ट के तहत कार्यशाला एवं मीटिंग का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल तरीके से किया गया ।

5- lpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2005 d fd;kUo;u %&

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा – 18 एवं धारा ''क" के अंतर्गत इस संचालनालय के निम्नलिखित कार्यालयों के लिए क्रमशः अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

उक्त के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं। संचालनालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। सूचना के अधिकार के तहत विभाग में प्राप्त ओवदनों का यथा समय निराकरण किया जाता

है। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस वर्ष प्राप्त प्रकरण निरंक रहे। पूर्व शेष 01 प्रकरण का निराकरण किया जा चुका है।

6- n{krk laijh{kk ¼Performance Audit½&

विगत कुछ वर्षो में विकास कार्यो तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संदर्भ में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किए जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल 2004 में दिए प्रावधानों अंतर्गत, दक्षता संपरीक्षा का कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर योजना लक्ष्यों तथा पुर्वानुमानों के संदर्भ मे वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण मूल्यांकन करते हुए लाभान्वित वर्गो को प्राप्त हुए लाभ की समीक्षा की जाती है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत क्रियान्वित तथा पंचायतों में संचालित निम्न योजना के दक्षता संपरीक्षा का कार्य किया जा रहा है:–

1. इंदिरा प्रियदर्शिनी एल.ई.डी. पथ प्रकाश योजना
2. मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम
3. पुष्प वाटिका उद्यान योजना
4. साप्ताहिक बाजार एवं साईकल स्टेंड ठेका
5. भागीरथी नल जल योजना
6. स्वामी आत्मानंद वाचनालय योजना
7. जीवनदीप समिति की दक्षता संपरीक्षा

उपरोक्त योजनाओं एवं संस्थाओं की दक्षता संपरीक्षा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7- NRrhlx< jkT; laijh{kk vf/kfu;e] 1973 dk la'kk/ku fd;k tkuk %&

वर्तमान में संचालनालय के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण का कार्य किया जाता है। यह अधिनियम मूलतः 1933 का अधिनियम है जिसे आंशिक परिवर्तनों के साथ वर्ष 1973 में नवीन अधिनियम के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। वर्तमान परिवेश में स्थानीय, स्वायत्तशासी निकायों निगमित, गैर निगमित निकायों की संख्या एवं इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि तथा इसके स्वयं के अधिनियमों में आवश्यकतानुरूप परिवर्तन साथ ही इन निकायों के माध्यम से शासन की अत्यधिक राशि के व्यय के दृष्टिगत इनके लेखाओं की जांच किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से तथा अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों के द्वारा किए गए भ्रमण के प्राप्त परिणामों के आधार पर वर्तमान में प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धाराओं में परिवर्तन कर युक्तियुक्त करण किया जाकर इसके धाराओं संशोधन की कार्यवाही की जाकर निम्नानुसार संशोधनों के साथ **NRrhlx< jkT; laijh{kk ¼la'kk/ku½ vf/kfu;e] 2020** प्रभावशील है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा '**LFkkuh; fuf/k laijh{kk***' के स्थान पर '**NÙkhlx< jkT; laijh{kk***' प्रतिस्थापित करते हुए संपरीक्षा की नवीन प्रविधियों का निम्नानुसार समावेश किया गया है :–

- संपरीक्षा के नवीन सोपान यथा– **Qkjfld laijh{kk] foRrh; laijh{kk] vuqikyu laijh{kk ,o tkf[ke vk/kkfjr laijh{kk** को समावेश किया गया।
- अभिलेख प्रस्तुत न होने पर दंड की राशि रूपये 500/– के स्थान पर रूपये 25000/– एवं कारण दर्शाने हेतु समय सीमा 3 दिवस संशोधित किया गया है।
- संचालक के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु पंचायत एवं नगरीय निकाय के अतिरिक्त विभाग अधीनस्थ समस्त अंकेक्षणाधीन निकायों को सम्मिलित किया गया है ।

8- foHkkx dk uke ^^NÙkhlx< jkT; laijh{kk** fd;k tkuk %&

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना कमांक एफ 1–6/2020/एक(1) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन कर **LFkkuh; fuf/k laijh{kk dk LFkku ij ^^NÙkhlx< jkT; laijh{kk**** करने की अधिसूचना दिनांक 05.02.2021 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।

9- fo'k"k laijh{kk ¼Special Audit½ %&

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 2 (ज) एवं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा नियमावली, 1974 के नियम 16 के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश अथवा स्थानीय प्राधिकारी के मांग पर संचालक द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी विनिर्दिष्ट कालावधि. के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की ''**fo'k"k laijh{kk**'' किया जाता है। वर्ष 2020–21 में नगर पंचायत छुरिया का अर्थवर्ष 2008–09 (दिनांक 01.10.2008 से 11.02.2009) तक लेखाओं की विशेष संपरीक्षा की गई है।

10- NRrhlx< fo/kku lHkk dh ^^ipk;r jkt ,o LFkkuh; fudk; y[kk lfefr** dh cBd&

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के अंकेक्षण उपरांत तैयार किए गए समेकित प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब तक कुल 05 समेकित प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत कराए जा चुके हैं। इन प्रतिवेदनों की प्राप्तियों पर विचार /परीक्षण करने के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिनांक 01.05.2018 को ''पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय लेखा समिति'' का गठन किया गया है। दिनांक 01.01.2020 से 31.12.2020 की अवधि में समिति की कुल 02 बैठक हुई है जिनमें स्थानीय निकायों की अंकेक्षण उपरांत प्राप्त महत्वपूर्ण कंडिकाओं पर चर्चा की गई ।

11- NRrhlx< ifCyd Qk;ufl;y eluteV ,o ,dkmVfoyhVh dk;de %&

यह कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना है तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के संस्थागत मजबूती अंकेक्षकों के क्षमता निर्माण एवं छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय नियमावली 2004 को अद्यतन करना, अंकेक्षकों के तकनीकी सहायता/ प्रशिक्षण हेतु अंकेक्षण की नवीन प्रणालियों को अपनाने एवं इसके अनुसार पायलट ऑडिट करने, अंकेक्षण के बैकलॉग को समाप्त करने का कार्य किया जाना है। संचालनालय द्वारा इस कार्यक्रम अंतर्गत तैयार ToR (Term's

of Reference) की अनुमति शासन से प्राप्त हो चुकी है। दिनांक 20.11.2019 को Expression of Intenest जारी किया जाकर राज्य शासन के अनुमोदन से कंसल्टेंट्स को नियुक्त कर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा को मजबूत करने वाली योजना, आडिट मैनुअल के विकास, सुधार के लिए सिफारिशें, प्रशिक्षण की आवश्यकता विश्लेषण (TNA), प्रशिक्षण, पायलट, साफ्टवेयर समीक्षा आदि सहित कई सेवाएं प्राप्त करने की कार्यवाही की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम अनुसार कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दिनांक – 29 जून 2020 को कार्यादेश जारी किया गया । विभागीय अधिकारियों एवं कंसलटेंट टीम के बीच झपा वर्िउममजपदह दिनांक 13.07.2020 को संपन्न हो चुकी है ।

संबंधित कंसलटेंट द्वारा Inception Report, As Is report एवं GAP Analysis Report संचालनालय में प्रस्तुत कर दी गई है । इस हेतु दिनांक 03.12.2020 को कंसलटेंट फर्म के द्वारा प्रदत्त Reports पर विभागीय अधिकारियों को Video Confernce के माध्यम से Presentation/Training भी दिया जा चुका है।

संचालनालय द्वारा Inception Report के परीक्षण एवं आवश्यक सुधार उपरांत वित्त विभाग की ओर दिनांक 09.09.2020 को मान्य करने हेतु प्रेषित किया गया है जो कि वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। साथ ही As Is Study and GAP Analysis. Current hardware status and Traning need Assesment Report के परीक्षण एवं आवश्यक सुधार उपरांत वित्त विभाग की ओर दिनांक 07.12.2020 को मान्य करने हेतु प्रेषित किया गया है जो कि वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

12- foHkkxh; v/khuLFk y[kk lsok ijh{kk dk vk;kstu %&

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा में अर्हता प्राप्त ज्येष्ठ संपरीक्षकों की आवश्यकता कों पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष ''छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा'' का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के भाग एक में 05 प्रश्न पत्र एवं भाग–दो में 05 प्रश्न पत्र होते है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत ही कर्मचारी ज्येष्ठ संपरीक्षक के पद पर स्थायी या पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2020 की अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा, माह फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

13. Audit App dk fuekZ.k %&

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा संपादित किए जा रहे अंकेक्षण कार्यो के विभिन्न स्तरों की वास्तविक समय जानकारी प्राप्त करने, अंकेक्षण कार्यो के मानीटर करने, किसी आदेश या निर्देश को फील्ड में कार्यरत अंकेक्षको को शीघ्रता से पहुचाने, अंकेक्षकों से आवश्यकतानुसार नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने, अंकेक्षण कार्यो को आसानी से Track करने, विभागीय Digital innovation के तहत, मोबाईल आधारित Audit App का निर्माण किया गया है। फील्ड में क्रियान्वित अंकेक्षण कार्यो के वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करने हेतु Audit App तैयार करने वाला छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है। इस App से अंकेक्षण कार्यो के क्रियान्वयन मानिटरींग एवं सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी होगी।

14- foHkkxh; dEI;wVjhdj.k (elfa) :-

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के कार्यों यथा अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, आपत्तियों के संग्रहण, अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण, अंकेक्षण संबंधी अन्य MIS तैयार करने के लिए EU-SPP योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय कार्यों का कम्पयूटरीकरण किया जा रहा है। यह कार्य NIC के माध्यम से किया गया है। वर्तमान में विभागीय वेबसाईट www.lfa.cg.nic.in के अलावा पंचायत राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों के अंकेक्षण आपत्तियों के input format's एवं output format's विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मंडी समितियों एवं विश्वविद्यालयों में अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों के format's भी विकसित किए जा रहें है । दिसंबर 2020 की स्थिती में पंचायत राज संस्थाओं के 3900 एवं नगरीय निकायों के कुल 411 अर्थात कुल 4311 प्रतिवेदन इस software में entry किए जा चुके है । यह भी उल्लेख है कि ''विभागीय कम्प्यूटरीकरण कार्य (e-lfa)'' एवं ''आडिट एप्प'' निर्माण कार्य को भारत शासन के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा प्रदान किए जाने वाले "National Awards on e-governance" हेतु भी प्रेषित किया गया है।

15- osru fu/kkj.k ,oa lR;kiu izdks"B %&

वित्त विभाग छ.ग. शासन के परिपत्र क्रमांक क्रमांक 1533/ एल 11–2/ वित्त/ 2010/ बजट–4/ चार रायपुर, दिनांक 13.10.2011 एवं 788/ एफ–01002199/ एल–11–2/ ब–4 द्वारा राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/ मण्डल/ आयोग/ अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशानुसार राज्य के समस्त स्थानीय निकायों, स्वशासीय निकायों, निगमों, मंडलों एवं आयोगों एवं अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के अधिकारियों एवं कमचारियों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों का निर्धारण एवं सत्यापन का कार्य संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिवेदनाधीन अवधि (01.04.2020 से 31.12.2020 तक) में संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कुल **7019** वेतन निर्धारण प्रकरणों का सत्यापन किया गया एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग तथा नगर पालिक निगम रायपुर के सेवा निवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों के कुल **156** पेंशन प्रकरणों का प्रमाणिकरण किया गया ।

osru fu/kkj.k izdj.kksa ds lR;kiu dk {ks=h; dk;kZy; okj ,oa lapkyuky; Lrj ij lR;kiu dk fooj.k							
{ks=h; dk;kZy;						**lapkyuky;**	कुल सत्यापित प्रकरण
रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	राजनांदगांव	रायगढ़	अम्बिकापुर		
513	**313**	**1204**	**1661**	**874**	**1712**	**742**	**7019**

16- fo/kkuHkk idk"B %&

संचालनालय स्थित इस प्रकोष्ठ के द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायत राज संस्थाओं एवं नगर निगमों के संपादित अंकेक्षण का समेकित प्रतिवेदन तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से विधान सभा में प्रस्तुत कराया जाता है । उक्त प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु गठित विधानसभा समिति के निर्देशानुसार मौखिक साक्ष्य हेतु आपत्तियों का चयन तथा आपित्तयों के निराकरण, साक्ष्य अभिलेखों का संधारण आदि की कार्यवाही भी इस शाखा के द्वारा की जाती है ।

17- fo'ofo|ky; idk"B%&

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय मैनुअल 2004 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुमोदन संचालनालय के द्वारा किया जाना है इस हेतु संचालनालय में विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत संपरीक्षित समस्त विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर, अनुमोदित कराया जाता है एवं इस अनुमोदित प्रतिवेदनों का प्रसारण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा कियास जाता है। दिसम्बर 2020 तक निम्न विश्वविद्यालयों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों का प्रसारण विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है :–

d-	fo'ofo|ky; dk uke	foRrh; o"k	vuqeknu fnukd
1	पं रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर	2015–16	22.05.2020
2	इंदिरा कला एवं संगीत विश्व विद्यालय खैरागढ़	2017–18 से 2018–19	20.08.2020
3	इंदिरा कला एवं संगीत विश्व विद्यालय खैरागढ़	2015–16 से 2016–17	18.11.2020

18- tudk;| fnol dh fLFkfr %&

v वित्तीय वर्ष 2019–20 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2019 को अवशेष	2019–20 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2019–20 में संपादित कार्य	31.03.2020 को अवशेष
700248	85206	785454	14693	770761

c वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2020 को अवशेष	2020–21 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2020–21 में संपादित कार्य (31.12.2020 तक)	31.12.2020 को अवशेष
770761	84705	855466	6025	849441

19- lijh{kk 'kYd :–

अ. 2019–20 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	2019–20 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.03.2020 तक)	दिनांक 31.03.2020 को अवशेष
21,89,57,210.00	370,36,655.00	25,59,93,865.00	3,45,19,944.00	22,14,73,921.00

ब. 2020–21 (31.12.2020 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थीः–

01.04.2020 को प्रारंभिक शेष	2020–21 की मांग	कुल मांग	कुल वसूली (31.12.2020 तक)	दिनांक 31.12.2020 को अवशेष
22,14,73,921.00	3,88,59,765.00	26,03,33,686.00	1,05,53,444.00	24,97,80,242.00

20- lijh{kk ifronu :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 (31 दिसम्बर 2020 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

v वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार रही थीः–

01.04.2019 को प्रसारण हेतु लंबित प्रतिवेदन	2019–20 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2019–20 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2020 को प्रसारण हेतु अवशेष
82	528	610	562	48

c वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :–

01.04.2020 को अवशेष	2020–21 में (31.12.2020 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2020–21 में (31.12.2020 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2020 को प्रसारण हेतु अवशेष
48	163	211	159	52

21- fujkd`r vkifRr;k :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 (31 दिसम्बर 2020 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थीः–

v- वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
341206	**19875**	**361080**	**1701**	**359379**	**2,30,53,87,57,954.00**

c- वित्तीय वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर 2020 तक) की स्थिति में :–

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्तियों की संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत आडिट आपत्तियों की संख्या	अवशेष आडिट आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि
359379	**4181**	**363560**	**621**	**362939**	**2,47,96,85,91,158.00**

22- LFkkuh; fudk;ksa dk vk;&O;; –

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय–व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे:–

(राशि ₹ में)

v	वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में :–	
	आय –	**46,21,07,34,811.00**
	व्यय –	**44,20,25,49,190.00**
c-	वित्तीय वर्ष 2020–21 (31.12.2020) की स्थिति में	
	आय –	**21,72,86,52,744.00**
	व्यय –	**19,10,05,65,998.00**

23- iHk{k.k %&

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :–

दिनांक 31.12.2020 तक अनिराकृत प्रभक्षण प्रकरणों की संख्या	प्रभक्षण प्रकरणों सन्निहित राशि ₹
2219	**11,12,71,769.00**

24- vf/kHkkj :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जिसमें किसी अधिकारी/कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है। ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

v- foRrh; o"kZ 2019&20 dh fLFkfr esa %&

dz	izdj.kksa dk fooj.k	la[;k	lfUufgr jkf'k ₹	fujkd`r la[;k	vo'ks"k la[;k	vo'ks"k jkf'k ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	22	5,94,708.00	0	22	5,94,708.00
2	अधिभार सूचना	9	2,01,056.00	0	9	2,01,056.00
3	अधिभार आदेश	35	5,30,823.00	1	34	4,95,048.00
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	24	1,49,016.00	1	23	1,00,157.00

c- foRrh; o"kZ 2020&21 dh fLFkfr esa %&

dz	izdj.kksa dk fooj.k	la[;k	lfUufgr jkf'k ₹	fujkd`r la[;k	vo'ks"k la[;k	vo'ks"k jkf'k ₹
1	अधिभार आरोप पत्र	21	9,09,097.00	0	21	9,09,097.00
2	अधिभार सूचना	9	2,01,056.00	0	9	2,01,056.00
3	अधिभार आदेश	34	4,95,048.00	1	33	4,70,173.00
4	मांग हेतु प्रमाण पत्र	23	1,00,157.00	0	24	1,25,031.00

25- jktLo ekx olyh %&

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2019–20 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षों तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2019–20 में राशि ₹33,52,30,995.00 तथा वर्ष 2020–21 में राशि ₹ 80,07,90,727.00 (31.12.2020 तक) वसूली हेतु शेष थी।

26- vfxe %&

v- वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹ 8,04,60,160.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु शेष रहा।

c- वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹19,83,66,522.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया।

34- _.k %&

अ. वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹ 10,44,02,34,216.00 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष 2020–21 की स्थिति में (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2020) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि ₹34,83,72,408.00 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है ।

35- vuqnku %&

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/ विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि ₹13,64,86,90,697.00 अवशेष होना पाया गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2020) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि ₹5,72,21,93,979.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

36- fu{ki %&

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ₹3,92,24,103.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2019 से 31.12.2020) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि ₹1,87,93,732.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया।

- **अपलेखन** –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग नया रायपुर के पत्र क्रमांक 502/वित्त/ब–4/2014 दिनांक 09.07.2014 (वित्त निर्देश 39/2014) के अनुक्रम में संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदत्त कम्प्यूटर्स सह उपकरण, प्रिंदर्स, फोटोकापियर्स एवं फर्नीचर जो अत्यंत पुराने एवं अनुपयोगी हो गए थे, के लिए अपलेखन की कार्यवाही की गई। इस कार्यावाही से कार्योलयों के अनुपयोगी समानों का 95 प्रतिशत अपलेखन किया जा चुका है। अप्रयोज्य एवं अपलेखन योग्य सामग्रियों हेतु नियमानुयार मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन से निविदा की कार्यवाही संपन्न की गई। अपलेखन की कार्यवाही पूर्ण कर राशि रू. 2,90,212.00 शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराया गया ।

भाग - दो

बजट :-

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2020–21 के लिये आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2020 तक कुल राशि ₹10.44 करोड़ व्यय हुआ है।

भाग - तीन

1. निरीक्षण :-

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :-

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षों की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशतः निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :-

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि ₹51,690.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

——000——

lpkyuky;] lLFkkxr foRr] NRrhlx<
bUnkorh Hkou] Cykd&,] prFk ry] uok jk;ipj vVy uxj

Hkkx&1

lpkyuky; d xBu dk mnn'; %&

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है। तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुड़े कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।
9. प्रधानमंत्री की बीमा योजनाओं (प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना) के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है। चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, अतः संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहे। संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में वित्तीय समावेशन हेतु प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 को किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 151 लाख से ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकों में नये खाते खोले है।

वित्तीय समावेशन की अगली कड़ी में भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनो महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में फरवरी 2019 तक पी.एम.जे.जे.बी.वाय. के अंतर्गत 10.69 लाख, पी.एम.एस.बी.वाय. के अंतर्गत 42.73 लाख लोगो ने अपना पंजीकरण कराया है। अटल पेंशन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों एवं पेंशन विहिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निश्चित पेंशन प्रदान करना है के अंतर्गत राज्य के 1.88 लाख से अधिक जनसंख्या अटल पेंशन योजना से जुड़ चुकी है।

vYi cpr ,o jkT; ykVjht dh lkekU; tkudkjh

छत्तीसगढ़ राज्य में अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है। अल्प बचत योजनाएं निम्नलिखित हैं :–

1. किसान विकास पत्र 9 वर्ष 4 माह में राशि दुगुनी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना 8.7 प्रतिशत मासिक ब्याज दर
8. लोक भविष्य निधि खाता में डेढ़ लाख की वृद्धि कर दी गई, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटों की नियुक्ति एवं पी.पी. एफ. एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देख–रेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।

lpkyuky; dk Á'kkldh; <kpk&

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर एवं चिन्हित स्थलों पर क्षेत्रीय अमला स्वीकृत है।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

Ø-	inuke	orueku yoy	Lohd`r in
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01
2.	अतिरिक्त संचालक	15	01
3.	संयुक्त संचालक	14	01
4.	प्रोग्राम आफिसर (ईएपी)	14	01
5.	सहायक संचालक	12	01
6.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	12	01
7.	सहायक सॉख्यिकी अधिकारी	9	01
8.	क्षेत्रीय वित्तीय समावेशन अधिकारी	9	04
9.	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	9	01
10.	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	7	01
11.	सहायक ग्रेड–01	7	01
12.	लेखापाल	6	01
13.	सहायक वर्ग–2	6	02
14.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	6	03
15.	क्षेत्रीय सहायक (वित्तीय समावेशन)	5	02
16.	सहायक ग्रेड–3	4	03
17.	वाहन चालक	4	03
18.	भृत्य	1	03
19.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01
	;kx		**32**

भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ हैं। प्रोग्राम आफिसर (ईएपी), प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रटर, स्टेनोग्राफर वर्ग–3, भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये हैं।

Hkkx&2

cTkV Áko/kku ,oa 0;; v-

2052&lfpoky; lkekU; lsok;s

¼091½&lc) dk;kZy;

4296&lpkyuky; lLFkkxr foÙk

• foHkkxh; miyC/k ctV

¼vkdM+s yk[k :- e½ ¼fnlEcj 2020 dh fLFkfr e½

Øekd	ctV 'kh"k	ÁkIr vkcVu	0;;	'k"k
01	oru HkÙk vkfn #01	164.00	98.00	66.00
02	etnjh #02	4.00	1.64	2.36
03	;k=k HkÙkk #03	15.00	0.09	14.91
04	dk;kZy; 0;; #04	37.10	1.83	35.27
05	Áf'k{k.k #05	1.10	0.00	1.10
06	0;olkf;d lokvk gr vnk;fx;k #10	12.00	1.65	10.35
07	vuj{k.k ij 0;; ,o midj.k #24	1.05	0.09	0.96
	;kx&	234.25	103.30	130.95

c-

2052&lfpoky; lkekU; lok;s
¼091½&lc) dk;kZy;
4296&lpkyuky; lLFkkxr foRr
2435&vU; df"k dk;Øe

¼vkdM+s yk[k :- e½ ¼fnlEcj 2020 dh fLFkfr e½

Øekd	ctV 'kh"k	ÁkIr vkcVu	0;;	'k"k
01	d"kd _.k C;kt nj ;fDr;Drdj.k gr C;kt&0101&5628	2200.00	0.00	2200.00
02	lkotfud {k= d cdk l fy, x, vYidkyhu df"k _.k ekQh ;ktuk&0101&7973	0.01	0.00	0.01
03	y?k ,o lhekr d"kd _.k ekQh ;ktuk &0101&8671	0.01	0.00	0.01

c-

2052&lfpoky; lkekU; lok;s
¼091½&lc) dk;kZy;
4296&lpkyuky; lLFkkxr foRr
7919&NRrhlx< ykd foRr ipk/ku ifj;ktuk

¼vkdMs yk[k :- e½ ¼fnlEcj 2020 dh fLFkfr e½

Øekd	ctV 'kh"kZ	ÁkIr vkcVu	0;;	'k"k
01	;k=k HkRrk #03	20.00	0.00	20.00
02	dk;ky; 0;; #04	1001.50	0.00	1001.50
03	if'k{k.k #05	20.00	0.00	20.00
04	0;olkf;d lokvk #10 gr vnk;fx;k	430.00	8.92	421.08

I-

2052&lfpoky; lkekU; lok;

¼091½&lc) dk;ky;

7836&vYi cpr

- **foHkkxh; miyC/k ctV**

¼vkdMs yk[k :- e½ ¼fnlEcj 2020 dh fLFkfr e½

Øekd	ctV 'kh"kZ	ÁkIr vkcVu	0;;	'k"k
01	oru HkÙk vkfn #01	124.40	22.33	102.07
02	;k=k HkÙkk #03	1.05	0.00	1.05
03	dk;ky; 0;; #04	6.20	0.00	6.20
	;kx&	131.65	22.33	109.32

Hkkx&3

lpkyuky; d dk;dyki ,o xfrfof/k;k ¼&

1. संचालनालय के सफल प्रयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। मार्च, 2020 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1382, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 827 एवं शहरी क्षेत्रों में 872 कुल 3,081 बैंक शाखा कार्यरत रही है। बैंकों को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60% के विरूद्ध मार्च, 2020 में 65.72% हुआ है। राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध मार्च, 2020 में 49.30% हो गया हैं। कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध मार्च, 2020 में 12.43% हुआ है। कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम दिसम्बर 2019 में रु 16,247.04 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2020 में 13,702.94 करोड हुआ है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम दिसम्बर, 2019 में ₹ 28,047.43 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2020 में ₹ 30,675.44

करोड़ हुआ है, जो कि 23.11% अधिक है। कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 10% के विरूद्ध मार्च 2020 में 15.04% हुआ है।

2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 28 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए हैं। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है। जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है। शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है।

Hkkx&4

cd olyh ÁkRlkgu ;kstuk Ádk"B ¼fcLd½ dk fØ;kUo;u %&

शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील हैं। इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से **fn lEcj] 2020** की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु. **27]93]691-00** जमा है।

Hkkx&5

vYidkyhu d`f"k _.k ekQh ;kstuk %&

प्रदेश के कृषकों के समग्र विकास के लिये राज्य शासन ने कृषकों के व्यापक हित में अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिये गये लगभग राशि रुपये 3491 करोड़ की अदायगी की जा चुकी है, जिससे लगभग 4 लाख 40 हजार किसान लाभान्वित हो चुके हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि ऋण माफी योजना लाये जाने के लगभग एक वर्ष में कृषि ऋण माफी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

——000——

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते हैं।

o"kZ 2020&21 esa dk;kZy; dh xfrfof/k;ka %&

प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020–21 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार किया गया तथा वर्ष 2020–21 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान एवं वर्ष 2021–22 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है।

laxBukRed <kapk %&

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

Ø-	in	J.kh@laoxZ	osru ysoy	in la[;k
¼1½	¼2½	¼3½	¼5½	¼4½
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	—	पदेन
2.	अपर संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	15	01
3.	संयुक्त संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	14	01
4.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	13	01
5.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	12	01
6.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	12	01
7.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	02
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	01
9.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	8	01
10.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	6	04
11.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	7	01
12.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	7	01
13.	सहायक ग्रेड–02	तृतीय श्रेणी	6	01
14.	सहायक ग्रेड–03	तृतीय श्रेणी	4	03
15.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	4	04
16.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	1	03

ctV vkcaVu rFkk O;; ¼foRrh; o"kZ 2020&21½

30 नवंबर, 2020 की स्थिति में

(राशि रुपये में)

Øekad	eq[; 'kh"kZ	;kstuk Øekad	;kstuk dk uke	ctV vkcaVu	okLrfod O;;
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	**1]50]88]000**	**75]33]447**
2	4070	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	**9]30]000**	**0**
			;ksx	**1]60]18]000**	**75]33]447**

(शीर्ष 06–2052–00–091–0000–4295–01–020 त्यौहार अग्रिम, 021 त्यौहार अग्रिम वापसियां वास्तविक व्यय में शामिल नहीं किया गया है।)

- **lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e&2005 ds rgr o"kZ 2020 esa izkIr izdj.kksa ds fØ;kUo;u dh tkudkjh**

प्राप्त आवेदन पत्र	निराकृत	अस्वीकृत
¼1½	¼2½	¼3½
————	**fujad**	————

——000——